

08/05/2024

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थितों को सम्मन मय नकल जारी किये जाकर अपत्रावली वास्ते नोटिस तामिल दिनांक 08/05/2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

16/05/2024

पत्रावली पेश हुई... P.O. साइड से रजि. कार्य में स्थल क्षेत्र से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22/05/24 को पेश की जाये।

A.P.C. 22/5/24

22/05/2024

पत्रावली पेश हुई... अधिकाधिक कार्य स्वामि द्वारा अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30/5/24 को पेश की जाये।

B.O. 30/5/24

30/05/2024

पत्रावली पेश हुई... अधिकाधिक कार्य स्वामि द्वारा अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10/06/24 को पेश की जाये।

A.P.C. 10/6/24

10/6/2024

पत्रावली पेश हुई। उक्त पत्रावली उपस्थित पेशकार सरकार ने न्यायालय में उपस्थित हो जवाब प्रस्तुत करने से इन्कार कर पत्रावली में No-objection प्रस्तुत किया। वकील प्राची ने आज ही वह करने का निवेदन कर जा 10 पत्रों द्वारा- 128 पर वह अंतिम कर पत्रावली का अवलोकन किया गया। जा 10 पत्रों द्वारा- 128 व पत्रावली में शामिल निवेदनों का महत्व ले अवलोकन किया गया व मनन किया गया। वकील प्राची द्वारा वह



### Form No. III

### फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

बनाम.....

किस्म मुकदमा.....

नं० .....

सन्.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
	<p>के दौरान की गई दलीलो के हक संतुष्ट है। प्राथी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा - 128 व्यवस्था पत्थरगढी का स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः वकील प्राथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाते के स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र धारा - 128 का निर्णय प्रयुक्त के लिये जाकर टकले - थायालय की इजलास में रुकाया गया। पत्रावली केवल शुभारंभ द्वारा रजिस्टर में कम किया जाकर शामिल करवाया है।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>	